प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

खण्ड पीठ : माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा और

माननीय श्री रंगनाथ चंद्राकर, न्यायाधीश

प्रथम अपील (वैवाहिकी) संख्या 39/2008

अपीलकर्ता श्रीमती शिल्पी जयसवाल

//बनाम//

प्रत्यर्थी आलोक जयसवाल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय के लिए विचार

सही /-

आर.एन.चंद्राकर,

न्यायाधीश

29.03.2010

मैं सहमत हूँ।मान.श्री धीरेन्द्र मिश्रा न्यायाधीश

सही /-

न्यायाधीश

30.03.2010

निर्णय की उदघोषणा हेतु दिनांक 30.03.2010 को सूचिबद्ध करे।

सही/-

धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायाधीश

30.03.2010

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा और

माननीय श्री रंगनाथ चंद्राकर, न्यायाधीश

प्रथम अपील (वैवाहिकी) संख्या 39/2008

अपीलकर्ता/अनावेदक श्रीमती शिल्पी जयसवाल आत्मज श्री लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता पति श्री आलोक जयसवाल, उम्र - करीबन 27 वर्ष ,व्यवसाय - नौकरी ,वर्तमान निवास कुंडला देवी अस्पताल के पास,गुप्ता कॉलोनी,दर्रीपारा,अंबिकापुर पुलिस थाना एवं तहसील अंबिकापुर,जिला - सरगुजा, (छ.ग.)

//बनाम//

प्रत्यर्थी/आवेदक आलोक जयसवाल आत्मज श्री सीताराम जयसवाल, उम्र करीबन 31 वर्ष,व्यवसाय नौकरी ,निवासी पटेलपारा कोरबा पुलिस थाना तहसील एवं जिला - कोरबा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(अपील अंतर्गत धारा 19 (1) कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984)

प्रस्तुत : श्री डी एन प्रजापति, अपीलकर्ता के अधिवक्ता

श्री सुनील ओटवानी प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

निर्णय

(दिनांक 30 मार्च 2010 को उद्घोषित)

द्वारा - मान. रंगनाथ चंद्राकर, न्यायाधीश

1. इस अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने सिविल वाद क्रमांक 61-ए/2007 में न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय कोरबा द्वारा पारित दिनांक 23.01.2008 के निर्णय और डिक्री की वैधता और औचित्य को चुनौती दी है, जिसके अनुसार विद्वान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "अधिनियम, 1955") की धारा 13 के अंतर्गत विवाह के विघटन आवेदन को अस्वीकार करते हुए, प्रत्यर्थी/पति के पक्ष में अधिनियम की धारा 10 के अनुसार न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्रदान की थी। डिक्री पर इस आधार पर आपत्ति की गई है, की क्रूरता के किसी भी साक्ष्य के बिना अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री पारित कर दी है और इस प्रकार अवैधता की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. स्वीकृत रूप से , दोनों पक्ष विधिक रूप से विवाहित जीवन साथी है और उनका विवाह कोरबा में हिंदू रीती रिवाजों के अनुसार दिनांक 03.07.2003 को हुआ था और विवाह के बाद वे कुछ समय तक शांतिपूर्वक साथ रहे। प्रत्यर्थी/पति ने जारता कर्म , परित्याग और क्रूरता के आधार पर विवाह के विघटन की डिक्री के लिए अपनी पत्नी के विरुद्ध अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अनुसार आवेदन दाखिल किया। प्रत्यर्थी/पति की अभिवचनो के अनुसार यह आरोप लगाया गया था कि विवाह के कुछ समय पश्चात अपीलकर्ता/पत्नी को उसके प्रेमियों अनिरुद्ध सरकार और किशोर उपाध्याय से टेलीफोन कॉल आने लगे,जिन्हें प्रत्यर्थी/पति ने समानांतर टेलीफोन कनेक्शन के माध्यम से सुना । प्रत्यर्थी/पति ने अपीलकर्ता/पत्नी के रिश्ते पर आपत्ति जताई, जिस पर उसने उसे विश्वास दिलाया कि वह उनके साथ संबंध जारी नहीं रखेगी, परंतु कुछ समय पश्चात पुनः टेलीफोन में बातचीत शुरू कर दी। अपीलकर्ता/पत्नी अधिकांशतः अपने मायके जाती थी और प्रत्यर्थी/पति के साथ रहने को तैयार नहीं थी। दिनांक 26.09.2005 को अपीलकर्ता/पत्नी अपने मायके चली गई जो अंबिकापुर में है और कोरबा स्थित अपने ससुराल आने को सहमत नहीं थीं । माह फरवरी, 2006 में प्रत्यर्थी/पति को अपीलकर्ता/पत्नी की ननद ने टेलीफोन पर बताया कि अपीलकर्ता/पत्नी

अंबिकापुर में अपने प्रेमी के साथ मौज मस्ती कर रही है। इस पर प्रत्यर्थी/पति ने समझाने के बाद अपीलकर्ता/पत्नी को दिनांक 08.02.2006 को कोरबा ले आया लेकिन अपीलकर्ता/पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ संबंध जारी रखे और प्रत्यर्थी/पति के विरोध करने पर उसने उसे और पूरे परिवार को दहेज की मांग के झूठे मामले में फँसाने की धमकी दी। उसने धमकी दी की अपने दोस्तों और भाई इंद्रजीत जो पहले ही एक हत्या के मामले में जेल में बंद है कि मदद से उसे और उसके परिवार के सदस्यों को जान से मार देगी ।

3. यह भी आरोप लगाया है कि दिनांक 27.08.2006 को सुबह 5.30 बजे वह यह कहकर ससुराल से निकली कि वह अपने पड़ोसी शैलेंद्र लाला के घर "तीजा व्रत" के अवसर पर कुछ पूजा करने जा रही है। वह सुबह 8:30 बजे तक वापस नहीं लौटी और फिर उन्होंने शैलेंद्र लाला के घर में उसकी तलाश की लेकिन वह वहाँ नहीं मिली। इसके पश्चात् शयन कक्ष की तलाशी में अपीलकर्ता/पत्नी द्वारा लिखा गया एक पत्र मिला जिसमें उसने प्रत्यर्थी/पति और ससुराल वालों के विरुद्ध कुछ अस्पष्ट आरोप लगाए थे।उस पत्र में उसने यह भी उल्लेख किया था कि वह प्रत्यर्थी/पति के साथ रहने को सहमत नहीं थी और इसलिए उसने स्वेच्छा से वैवाहिक घर त्याग दिया। यह भी पाया गया कि वह अपने साथ एक सूटकेस ,एक महिला पर्स, कीमती साड़ियां ,16-17 तोले सोने के गहने और नकद राशि ले गई । पत्र मिलने के पश्चात घटना की सूचना अपीलकर्ता/पत्नी के पिता और उनके रिश्तेदारों को दी गई। प्रत्यर्थी/पति और उसके पिता ने डॉ प्रमोद थवैत और पी.एस.कोखर के साथ मिलकर उसे चारों दिशाओं में खोजा । इसके पश्चात्,पुलिस थाना कोरबा में गुमशुदगी की प्राथमिक दर्ज कराई गई , समाचार पत्रों में प्रकाशन और रेडियो व टेलीविजन पर समाचार प्रसारित करके अपीलकर्ता/पत्नी का पता लगाने के कई प्रयास किए गए। दिनांक 17.12.2006 को प्रत्यर्थी/पति को जगदलपुर की निशा नाम की एक महिला ने बताया कि उसने अपीलकर्ता/पत्नी को एक लड़के के साथ देखा था, जो उसके एसटीडी/

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पीसीओ पर आया था। उसी दिन प्रत्यर्थी/पति को अपीलकर्ता/पत्नी से एक टेलीफोन कॉल आया जिसमें उसने उसे दहेज की मांग के लिए उसके पूरे परिवार को प्रताड़ित करने के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। क्योंकि उसने उसकी लापता होने के बारे में समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करके उसे परेशान किया था , हालांकि वह स्वेच्छा से अपने ससुराल से चली गई थी।

4. यह भी आरोप है कि दिनांक 19.12.2006 को अपीलकर्ता/पत्नी ने प्रत्यर्थी/पति और उसके परिवार के विरुद्ध अंबिकापुर पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 498-ए के अंतर्गत झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई और ससुराल छोड़ने के पश्चात अपीलकर्ता/पत्नी नवंबर, 2006 से जुलाई, 2007 तक भिलाई में अभिषेक उर्फ नीरज जयसवाल के घर में खुद को कुमारी शिल्पी गुप्ता बताते हुए रही,जहाँ उसने अपने प्रेमियों और अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध जारी रखा ,जिस पर अभिषेक उर्फ नीरज जयसवाल ने आपत्ति जतायी और इसलिए उसे उसके परिसर से खाली करा दिया गया। इस प्रकार अपीलकर्ता/पत्नी का आचरण जारता और क्रूरता के दायरे में आता है,जिसने प्रत्यर्थी/पति के लिए उसके साथ रहना दुश्वार कर दिया। इसलिए प्रत्यर्थी/पति ने विवाह के विघटन के माध्यम से विवाह-विच्छेद की डिक्री की मांग की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दूसरी ओर, अपीलकर्ता/पत्नी ने याचिका में लगाए आरोपों का खंडन किया और अभिवचन किया कि उसने प्रत्यर्थी/पति को कभी प्रताड़ित नहीं किया । अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत आवेदन झूठे और निराधार आधार पर दायर किया गया है। वह अनिरुद्ध सरकार को जानती थी, क्योंकि वह शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, अंबिकापुर में उससे वरिष्ठ शिक्षार्थी था,लेकिन वह किशोर उपाध्याय को नहीं जानती थी। वैवाहिक जीवन की शुरुआत से ही पति और ससुराल वालों द्वारा उसे और दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा था क्योंकि उनकी मांग पूरी नहीं हुई थी , और

इसलिये तलाक के लिए आवेदन दायर किया गया था । दिनांक 27.08.2006 को उसे अपने माता पिता से 2,00,000/- रुपए लाने के लिए बुरी तरह से पीटा गया, और ससुराल से बाहर निकाल दिया गया । इसीलिए,उसने अपना ससुराल त्याग दिया। उसने स्वेच्छा से ससुराल नहीं छोड़ा । मैहर की यात्रा के दौरान उसके पति द्वारा एक होटल में भी उसके साथ मारपीट की गयी और एक बार कोरबा से बिलासपुर आते समय उसके पति ने उसे रात में कोनी (बिलासपुर) के पास अकेला छोड़ दिया। वह 27.08.2006 को अपने साथ कोई पैसा,कपड़े और गहने नहीं ले गई। उसका पति बहुत क्रूर व्यक्ति हैं और पति और ससुराल वालों द्वारा परेशान और प्रताड़ित होने के कारण उसने कथित पत्र लिखा,जिसके तथ्यों की वास्तविकता को दबाकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। प्रत्यर्थी/पति बहुत लालची और चालाक व्यक्ति है जो दहेज के लोभ में पुनर्विवाह करने के उद्देश्य से तलाक चाहता है। अपीलकर्ता/पत्नी ने अपने लिखित बयान के कंडिका 36 में विशेष रूप से तर्क दी कि वह प्रत्यर्थी/पति को तलाक देने के लिए तैयार है,यदि वह उसे सभी आभूषण,18 तोले सोने के आभूषण और विवाह के समय दी गई राशि 3,00,000/- रुपये नगदी ,टीका पर दी गई 51,000/-रुपये की राशि नगदी वापस कर दें और स्थायी गुज़ारा भत्ता के रूप में 20,00,000/- रुपये नगदी दें ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. पक्षकारों द्वारा दिए गए प्राक्कथनों के आधार पर वाद प्रश्न विरचित किए गए और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् विद्वान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय ने तलाक की डिक्री न देकर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री दी है।

7. प्रत्यर्थी के परीक्षण में स्वयं (अभि.सा./01) उनके पिता सीताराम जयसवाल (अभि.सा./02) और उनके पड़ोसी डॉक्टर प्रमोद थवैत (अभि. सा./03) से पूछताछ हुई । अपने वाद के समर्थन में,उन्होंने प्रदर्श पी/ 01 से लेकर प्रदर्श पी/ 07 तक के दस्तावेज प्रस्तुत किए। दूसरी ओर, अपीलकर्ता/पत्नी ने

स्वयं (उवा.सा./01) उसके पिता लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता (उवा.सा./02) और जय प्रकाश जयसवाल (उवा.सा./03) से पूछताछ हुई । उन्होंने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श डी/ 01 और प्रदर्श डी / 02 प्रस्तुत किया है।

8. हमने अपीलकर्ता/पत्नी के विद्वान अधिवक्ता श्री डी एन प्रजापति और प्रत्यर्थी/पति के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील ओटवानी को श्रवण किया तथा कुटुम्ब न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।

9. अपीलकर्ता/पत्नी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़ता से तर्क प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी/पति ने अपीलकर्ता/पत्नी द्वारा की गई क्रूरता को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है। कुटुम्ब न्यायालय ने अपीलकर्ता/पत्नी के इस साक्ष्य को नजरंदाज कर दिया है कि दहेज के अभाव में प्रत्यर्थी/पति द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार और क्रूरता की गई , इसलिए, प्रत्यर्थी/पति के पक्ष में न्यायिक पृथक्करण का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए था। यह भी तर्क दिया गया है कि कुटुम्ब न्यायालय ने अभिलेख पर दर्ज साक्ष्य को उसके उचित विवेचन में नहीं आंका है और क्रूरता की साक्ष्य के अभाव में,न्यायिक पृथक्करण का आदेश विधि के अनुसार स्थिर रखने योग्य नहीं है,इसलिए, आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता/पत्नी के विद्वान अधिवक्ता ने *गोपाल चन्द मलिक बनाम मंजरी मलिक*[1] , *आर. बालासुब्रह्मण्यम बनाम श्रीमती विजयलक्ष्मी बालासुब्रमण्यम*[2] *और रवि कुमार बनाम जुल्मी देवी* [3] के न्याय दृष्टांत का अवलंब लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/पति की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपील का कड़ा विरोध किया और अभिव्यक्ति किया की प्रत्यर्थी/पति ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके क्रूरता के तथ्य को साबित कर दिया है ,और सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय

ने प्रार्थी के पक्ष में उचित न्यायिक पृथक्करण का आदेश पारित किया है। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने ***श्रीमती मायादेवी बनाम जगदीश प्रसाद*** [4] के मामले की न्यायिक दृष्टांत का अवलंब लिया।

---

1 एआइआर 2004 झारखंड 104 3 2010 एसएआर (सिविल) 217 एससी

2 एआइआर 1999 एससी 3070 4 2007 एआइआर एससीडब्लू 1830

11. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को विवेचन के क्रम में , हमने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्षियों का परीक्षण किया है। यह सत्य हो सकता है कि अधिनियम,1955 के अंतर्गत क्रूरता की कोई परिभाषा नहीं है। वास्तव में ऐसी परिभाषा संभव ही नहीं है। वैवाहिक संबंधों में,क्रूरता का स्पष्ट अर्थ पति पत्नी के बीच आपसी सम्मान और समझ का अभाव है,जो संबंधों में कड़वाहट पैदा करता है और प्रायः व्यवहार के विभिन्न प्रकोपों को जन्म देता है,जिन्हें क्रूरता कहा जा सकता है। वैवाहिक संबंधों में क्रूरता कभी हिंसा का रूप ले सकती है,तो कभी कोई भिन्न रूप ले सकती है। कभी कभी,यह केवल एक रौब या दबाव हो सकता है।कुछ स्थितियों में, चुप्पी क्रूरता के समान हो सकती है । इसीलिए , वैवाहिक व्यवहार में क्रूरता किसी भी परिभाषा को चुनौती देती है और इसकी श्रेणी को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। जहां पति अपनी पत्नी के प्रति क्रूर है या पत्नी अपने पति के प्रति क्रूर है,इसका निर्धारण और निर्णय दिए गए मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए,न कि किसी पूर्व निर्धारित कठोर सूत्रों द्वारा वैवाहिक मामलों में क्रूरता अनंत प्रकार की हो सकती है,यह सूक्ष्म या क्रूर भी हो सकती है, और यह इशारों और शब्दों के माध्यम से भी हो सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. यदि हम उपरोक्त विधिक सिद्धांतों के आलोक में पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच करें,तो हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी/पति ने यह विचार और

क्रूरता के आधार पर विवाह-विच्छेद की डिक्री मांगी थी,जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता/पत्नी विवाह के पश्चात भी अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाए हुए थी ,और उसे समझाने के बावजूद उसने अपना आचरण नहीं सुधारा। कुटुम्ब न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के कंडिका 46 में दिए गए निष्कर्ष के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता/पत्नी के विरुद्ध जारता का आरोप साक्षयों के आधार पर प्रत्यर्थी/पति द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी/पति का यह परम कर्तव्य था कि वह जारता के आरोप को ठोस प्रत्यक्ष साक्षों द्वारा सिद्ध करें,ना कि केवल आवेदन में या न्यायालय में दिए गए बयानों द्वारा करें । प्रत्यर्थी/पति के बयान के अतिरिक्त,अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो दर्शाता हो की अपीलकर्ता/पत्नी जारता कर्म का जीवन जी रही थी। यह भी स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी/पति ने भिलाई निवासी अभिषेक उर्फ नीरज जयसवाल से पूछताछ नहीं की है,जो अपीलकर्ता द्वारा व्याभिचारी जीवन जीने के गवाहों में से एक हो सकता है,जैसा कि अधिनियम की धारा 13 के अनुसार आवेदन के कंडिका 26 में आरोप लगाया गया है, कि अपीलकर्ता अपनी वास्तविक पहचान को छिपाकर नवंबर,2006 से जुलाई,2007 तक उसके घर में किराये पर रही थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. जहाँ तक क्रूरता के आधार का संबंध है, प्रत्यर्थी/पति ने ठोस साक्षियों के आधार पर इसे स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है जैसा कि विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने अपने निर्णय के कंडिका 18 से 45 में विस्तार से व्याख्या की है, प्रत्यर्थी/पति द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी/पत्नी ने जान बूझकर दिनांक 27.08.2006 को बिना किसी कारण के प्रत्यर्थी/पति को त्याग दिया और उसके शयन कक्ष में एक पत्र प्रदर्श पी/02 छोड़ दिया। प्रत्यर्थी/पति ने अपीलार्थी/पत्नी का पता लगाने और उसे वापस लाने के लिए जी जान से प्रयास किया, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ गए। प्रत्यर्थी/पति द्वारा किए गए प्रयास दस्तावेज़ प्रदर्श पी/ 01 ,प्रदर्श पी/03, प्रदर्श पी/ 04, और प्रदर्श पी/05 द्वारा अच्छी तरह से पुष्ट होते हैं। प्रदर्श पी/ 01 प्रत्यर्थी/पति द्वारा पुलिस स्टेशन,कोतवाली,कोरबा में दर्ज

करायी गयी गुमशुदगी की प्राथमिक सूचना पत्र है, प्रदर्श पी/ 03 "गुमशुदा तलाश केंद्र", दिल्ली की पावती है और प्रदर्श पी/04 और प्रदर्श पी/05 अपीलार्थी/पत्नी के गुमशुदा होने के बारे में समाचार पत्र की कतरनें है।ये दस्तावेज अखंडित रहे और उस आशय के प्रति प्रतिक्रिया बयान की पुष्टि उसके पिता सीताराम जयसवाल (अभि.साक्ष्य/02) और डॉ. प्रमोद थवैत (अभि.सा./03) ने की है। अपीलार्थी/पत्नी उपरोक्त साक्ष्य का खंडन करने या इसके विपरीत कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रही। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी/पत्नी ने अपने मुख्य परीक्षण के कंडिका 05 में पत्र प्रदर्श पी/02 को स्वीकार किया।उसने अपनी प्रतिपरीक्षण के कंडिका 19 में यह भी स्पष्ट स्वीकार किया कि वह 26.09.2006 से 05.07.2007 तक भिलाई में अभिषेक उर्फ नीरज जयसवाल के घर में किराये पर रहती थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. जहाँ तक अपीलार्थी/पत्नी द्वारा दिये गए बचाव का संबंध हैं कि दहेज के अभाव में उसके पति और ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण उसने अपना ससुराल त्याग दिया, तो साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि उसने दिनांक 19.12.2006 को प्रत्यर्थी/पति और ससुराल वालों के विरुद्ध प्राथमिकी (प्रदर्श डी/01) दर्ज कराई थी, जो 27-08-2006 को उसके ससुराल छोड़ने के लगभग चार महीने बाद की थी।उसने दिनांक 19-12-2006 की उक्त प्रथम सूचना पत्र में उसके द्वारा लगाए गए क्रूरता के संबंध में कभी किसी अधिकारी के समक्ष कोई शिकायत नहीं की थी। यह भी स्पष्ट है कि उसने अपने पत्र (प्रदर्श पी/02) मे, यद्यपि स्वीकार किया है, की प्रत्यर्थी/पति या ससुराल वालों द्वारा की गई किसी भी क्रूरता के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया है। इसके विपरीत, (प्रदर्श पी/02) केवल प्रत्यर्थी/पति को जानबूझकर त्यागने को दर्शाता है।यहाँ यह उल्लेख करना भी उचित है कि वह अपने प्रत्यर्थी/पति द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित अपनी गुमशुदगी की सूचना के बारे में अच्छी तरह से अवगत थी, लेकिन न तो उसने और न ही उसके माता पिता ने प्रत्यर्थी/पति को उसके ठिकाने के बारे में सूचित किया। अपीलार्थी/पत्नी का यह कृत्य उसकी मनमानी और बिना किसी उचित कारण

के प्रत्यर्थी/पति को जानबूझकर त्यागने को भी दर्शाता है, जो क्रूरता के समान है। साक्षियों की गहन जांच से ऐसा प्रतीत होता है, कि अपीलकर्ता और उसके माता पिता मामले को सुलझाने के बजाय प्रत्यर्थी/पति और उसके माता-पिता के विरुद्ध प्राथमिकी (प्रदर्श डी/01) दर्ज कराने में अधिक रुचि रखते थे।

15. विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने अपने निर्णय के कंडिका 45 में आगे बताया कि के अधिनियम, 1955 की धारा 23 (2) के अंतर्गत पक्षकारों के बीच विवाद के समाधान के लिए कार्यवाही के विभिन्न चरणों में कई प्रयास किए गए, लेकिन अपीलकर्ता/पत्नी अपने इस कथन पर अड़ी रही कि वह प्रत्यर्थी को तब तक तलाक नहीं देना चाहती जब तक उसके विरुद्ध लगाये आरोप साबित नहीं हो जाते। इसके विपरीत ,कंडिका 36 में अपने लिखित बयान के साथ साथ अपनी मुख्य परीक्षा के कंडिका 11 में उसने प्रत्यर्थी/पति को इस शर्त पर तलाक देने की बात कही कि अगर वह उसके सारे गहने, 18 तोले सोने के आभूषण और विवाह के समय दिये गए 3,00,000/- रुपये नकद, "टीका" पर दिया गया 51,000/- रुपये और स्थायी गुज़ारा भत्ता के रूप में 20,00,000/- रुपये नकद लौटा दे। अपीलकर्ता/पत्नी का यह आचरण यह भी दर्शाता है कि वह प्रत्यर्थी/पति, के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. इस प्रकार साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन और पक्षों की तर्कों पर विचार करने पर, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी/पति ने अपीलकर्ता/पत्नी द्वारा उस पर की गई क्रूरता के तथ्य को सफलतापूर्वक सिद्ध कर दिया है और अपीलकर्ता/पत्नी पर पति द्वारा उस पर की गई किसी भी क्रूरता को सिद्ध करने में विफल रही है। उपरोक्त के दृष्टिगत अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा जिन न्याय दृष्टान्तों पर अवलंब लिया गया है वे वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार लागू नहीं होते है। इसके अतिरिक्त, कुटुम्ब न्यायालय ने अधिनियम की धारा 13-ए के प्रावधनों का पालन करते हुए विवाह-विघटन की डिक्री

पारित करने के स्थान पर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित की है, जो इस प्रकार है – .

"{13-ए विवाह-विच्छेद की कार्यवाही में वैकल्पिक अनुतोष - इस अधिनियम के अनुसार किसी भी कार्यवाही में, तलाक की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए याचिका पर जहाँ तक याचिका धारा 13 की उपधारा के खण्ड 1 ,(VI) और (VII) में उल्लेखित आधारों पर आधारित है , न्यायालय यदि वह प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना उचित समझती है, तो इसके स्थान पर न्यायिक पृथक्करण के लिए एक डिक्री पारित कर सकती है।}"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. इसके अतिरिक्त, यदि अपीलकर्ता/पत्नी विद्वान कुटुम्ब न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और डिक्री से व्यथित हैं, तो अधिनियम की धारा 10 (2) के अंतर्गत उनके लिये उपचार खुला है जो इस प्रकार - .

"जहाँ न्यायिक पृथक्करण का आदेश पारित किया गया है, वहाँ याचिकाकर्ता के लिए प्रत्यर्थी के साथ सहवास करना अनिवार्य नहीं होगा, किंतु न्यायालय किसी भी पक्ष की याचिका द्वारा आवेदन पर तथा ऐसी याचिका में दिए गए कथनों की सत्यता से संतुष्ट होने पर, आदेश को अपास्त कर सकता है, यदि वह ऐसा करना न्यायसंगत और युक्तियुक्त समझता है।"

18. उपरोक्त कारणों से, हमारा यह मत है कि विद्वान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय ने प्रत्यर्थी/पति के पक्ष में न्यायिक पृथक्करण का आदेश पारित करने में कोई अवैधता या अनियमितता धारित नहीं की है। फलस्वरूप,

अपील में कोई बल नहीं होने के कारण यह खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है। पक्षकारों को अपना अपना व्यय स्वयं वहन करना होगा।

सही/-	सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा	आर.एन.चंद्राकर
न्यायाधीश	न्यायाधीश

<u>अस्वीकरण</u>

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुवादक: छबि लाल (अधिवक्ता)

व्यवहार न्यायालय गुंडरदेही,जिला-बालोद, (छ.ग.)